प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 21.12.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने मुकदमें से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 21.12.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 मौजीलाल वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुकदमें से संबंधित 01 नफर वारंटी अभियुक्त मुन्ना पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम पुरा थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र करीब 55 वर्ष सम्बन्धित मु0नं0 219/2019 एनसीआर नं. 51/16 धारा 323/504/506 भादवि के वारंटी अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम पुरा थाना खन्ना जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया है । बाद आवश्यक कार्यवाही वारंटी अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त–

मुन्ना पुत्र रामप्रसाद उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम पुरा थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मौजीलाल वर्मा
2. हे0का0 लालचन्द्र

थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले 02 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में, जनपद में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 21.12.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित हुई थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित फर्जीवाड़े के मामले में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 254/2025 धारा 318(4)/338/336(3) BNS में प्रकाश में आये 02 नफर वांछित अभियुक्तगण 1.नरेश कुमार राजपूत पुत्र कालका प्रसाद उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम टिकरिया जैतपुर थाना अजनर जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के अजनर तिराहे से गिरफ्तार किया गया है तथा 2.गुलाम पुत्र सफी मुहम्मद उम्र करीब 31 वर्ष निवासी गांधी आश्रम के पास ग्राम जैतपुर बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के बेलाताल तिराहा बाई पास के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया है। उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा एक योजना के तहत अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर सरकारी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर कूटरचित दस्तावेज लगाकर अनुचित बीमा कराया गया था। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है। उपरोक्त मुकदमें में पूर्व में कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है, जो भी इन कार्यों में संलिप्त पाये जाते है। उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. नरेश कुमार राजपूत पुत्र कालका प्रसाद उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम टिकरिया जैतपुर थाना अजनर जनपद महोबा
2. गुलाम पुत्र सफी मुहम्मद उम्र करीब 31 वर्ष निवासी गांधी आश्रम के पास ग्राम जैतपुर बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह, थाना कुलपहाड जनपद महोबा
2. उ0नि0 सुरेश प्रसाद पटेल 3.का0 विवेक कुमार 4.का0 दिनेश सिंह